राष्ट्रीय आवास बैंक
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली – 110003

एमएमजीएस- II (उप प्रबंधक), एमएमजीएस- III (प्रबंधक), एसएमजीएस-V (सहायक महाप्रबंधक) और टीईजीएस- VI (मुख्य जोखिम अधिकारी) अधिकारियों की नियमित आधार पर भर्ती – 2019

ऑनलाइन आवेदन और शुल्क का भुगतान – दिनांक 28.12.2019 से 17.01.2020 तक

विज्ञापन सं.- रा.आ.बैंक/ मा.सं. एवं प्रशासन/भर्ती/2019/06

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) संसद के एक अधिनियम, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत वर्ष 1988 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। रा.आ.बैंक का अधिदेश आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करना है। रा.आ.बैंक आवास वित्त क्षेत्र हेतु वित्तीय एवं संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देने के माध्यम से देश में एक मजबूत और स्थिर आवास वित्त प्रणाली की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। रा.आ.बैंक खासतौर पर निम्न आय आवास श्रेणी हेतु अभिनव बाजार आधारित समाधानों के विकास और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

बैंक एक अधिकारी उन्मुख, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित संस्थान है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और साथ ही मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलुरु, हैदराबाद, और कोलकाता में कार्यालय हैं। बैंक अपने कार्यकलापों में अनुसंधान, विश्लेषण तथा समसामायिक कार्य व्यवहार एवं तकनीकी को अंगीकार कर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना चाहता है। बैंक ने कई उत्कृष्ट पहलें की हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकृष्ट किया है। बैंक योग्य, ऊर्जावान, ईमानदार पुरूषों एवं महिलाओं के लिए एक आधुनिक, अनुकूल, व्यावसायिक कार्य वातावरण प्रदान करता है।

नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक मध्य प्रबंधन संवर्ग स्केल II (उप प्रबंधक), मध्य प्रबंधन संवर्ग स्केल III (प्रबंधक), वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग स्केल – V (सहायक महाप्रबंधक) और शीर्ष कार्यपालक संवर्ग स्केल – VI (मुख्य जोखिम अधिकारी) के पद को भरने हेतु प्रतिभाशाली, प्रतिबद्ध एवं ऊर्जावान अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

I. महत्वपूर्ण निर्देश

1. अभ्यर्थी को पद हेतु अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और और पात्रता की तिथि के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया केवल तभी पूरी होती है जब निर्धारित आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार (जहाँ भी लागू हो) भुगतान की अंतिम तिथि तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैंक में जमा किया गया हो।
- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार, शॉर्टलिस्टिंग के लिए अनंतिम रूप से भर्ती किया जाता है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को ई-कॉल लेटर जारी करने का यह अर्थ नहीं होगा कि बैंक द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंततः मंजूरी दे दी गई है। बैंक साक्षात्कार के समय (यदि बुलाया जाता है) मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता मानदंड का सत्यापन करेगा। यदि उस स्तर पर, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पद (आयु, शैक्षणिक, व्यवसायिक योग्यता, योग्यता के बाद अनुभव आदि) के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी किसी भी वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं।

2. आवेदन का तरीका:

अभ्यर्थी **दिनांक 28.12.2019 से 17.01.2020** तक रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in के माध्यम से **ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं। **आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है।**

3. महत्वपूर्ण तिथि:

विषय	अनंतिम तिथि
पात्रता मानदंड हेतु कट-ऑफ़ तिथि	28.12.2019
आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क / सूचना प्रभार के भुगतान के लिए वेबसाइट लिंक खुला है	28.12.2019
आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क / सूचना प्रभार के भुगतान की अंतिम तिथि	17.01.2020

टिप्पणी: बैंक के पास उपरोक्त कट-ऑफ तिथि/अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकर है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट हेतु रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhb.org.in) के अलावा नियमित आधार पर अपना एसएमएस और पंजीकृत ई-मेल को देखते रहें।

4. रिक्तियों की संख्या

पद	स्केल	रिक्तियां					
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.-नॉ.क्रि.ले.	सामान्य	कुल	दिव्यांगता में ग.दि
डीजीएम (मुख्य जोखिम अधिकारी)	टीईजीएस-VI	-	-	01	-	**01**	-
एजीएम (अर्थव्यवस्था एवं रणनीति)	एसएमजीएस-V	-	-	-	01	**01**	-
एजीएम (सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस))		-	-	-	01	**01**	-
प्रबंधक (ऋण लेखा परीक्षा)	एमएमजीएस-III	01	01	-	-	**02**	-
डीएम	एमएमजीएस -II	02	-	02	03	**07**	1

संक्षिप्ताक्षर: डीजीएम: उप महाप्रबंधक; एजीएम: सहायक महाप्रबंधक; डीएम: उप प्रबंधक; अ.जा.: अनुसूचित जाति; अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व.-नॉ.क्रि.ले: अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर; ग.दि.: गतिविषयक दिव्यांगता (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास)।

टिप्पणी:

- नॉन क्रीमी लेयर' में आने वाले अ.पि.व. के अभ्यर्थी अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण और आयु में छूट के हकदार हैं। 'क्रीमी लेयर' वाले अ.पि.व. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी को 'सामान्य' श्रेणी के रूप में दर्शाएं।
- ऊपर दी गयी रिक्तियों और आरक्षण की कुल संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तिवक जरूरत के आधार पर यह बढ़/घट सकती है। रा. आ. बैंक के पास अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाने और वास्तिवक जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार है।
- दिव्यांगजन अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी यानी सामान्य / अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. / ईडब्ल्यूएस के हो सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए आरक्षण होरिज़ोंटल है और पद हेतु कुल रिक्तियों के भीतर है।

- आरक्षित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी, जिनके लिए किसी आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, अनारक्षित वर्ग की घोषित रिक्तियों हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें अनारक्षित वर्ग के लिए लागू सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

5. पात्रता

कृपया ध्यान दें कि विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड पद हेतु आवेदन करने के लिए मूल मानदंड हैं। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और बैंक द्वारा आवशयक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी आगामी प्रक्रिया स्तर के समय ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में इंगित मूल में प्रासंगिक दस्तावेजों और श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता, योग्यता के बाद अनुभव आदि से संबंधित उनकी पहचान और पात्रता के समर्थन में एक फोटोकॉपी प्रदान करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी और इस संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन, ऑनलाइन आवेदन में जिस श्रेणी को इंगित किया गया है, उस पर विचार करते हुए परिणाम प्रोसेस किया जाएगा। पद के लिए आवेदन करना, केवल साक्षात्कार और आगामी प्रक्रियाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी को अनिवार्यतः बैंक में रोजगार दिया ही जायेगा। जिस अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.1 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी को निम्न होना चाहिये-

(i) भारत का नागरिक हो, या
(ii) नेपाल की प्रजा हो, या
(iii) भूटान की प्रजा हो, या
(iv) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई रुप से बसने की इच्छा से आये हों (1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गये हों), या
(v) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ़्रीक़ी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तंजान्यिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) एवं (v) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

5.2. आयु सीमा (यथा 28.12.2019 को)

पद	आयु (अधिकतम)
डीजीएम (मुख्य जोखिम अधिकारी)	50 वर्ष
एजीएम (इकॉनोमी एवं कार्यनीति)	45 वर्ष
एजीएम(एमआईएस)	
प्रबंधक(ऋण लेखापरीक्षा)	35 वर्ष
डीएम	32 वर्ष

टिप्पणी: ऊपर निर्दिष्ट अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू है। ऊपरी आयु में छूट निम्नानुसार उपलब्ध होगी।

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.सं.	अभ्यर्थी की श्रेणी	आयु में छूट
5.2 (क)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
5.2 (ख)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
5.2 (ग)	"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत यथा परिभाषित दिव्यांगजन।	दिव्यांगजन (सामान्य) - 10 वर्ष दिव्यांगजन (अ.जा./अ.ज.जा.) – 15 वर्ष दिव्यांगजन (अ.पि.व.) - 13 वर्ष
5.2 (घ)	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग के अधिवासी रहे हों।	5 वर्ष
5.2 (ड.)	भूतपूर्व सैनिक (आपातकालीन कमीशन अधिकारी (ईसीओ)/लघु सेवा कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) सहित) बशर्ते आवेदकों ने कम से कम 5 वर्ष सैन्य सेवा प्रदान की हो और कार्यभार (इनमें वे भी शामिल है जिनका कार्यभार 6 महीने के अंदर पूरा होने वाला हो) पूरा करने पर सेवामुक्त किए गए हों। इसके अलावा दुराचरण या अकुशलता के कारण बर्खास्त नहीं किए गए हों या/ शारीरिक दिव्यांगता के कारण सेवामुक्त किया गया हो या सैन्य सेवा से शारीरिक दिव्यांगता या अशक्ता के कारण सेवामुक्त किया गया हो। ऐसे ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने सैन्य सेवा की अपने पाँच वर्ष का कार्यभार की अवधि पूरा कर ली हो लेकिन उसका कार्य पाँच वर्ष के बाद बढ़ा दिया गया हो और ऐसे मामले जिसमें रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि चयन होने पर वे नियुक्ति के प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर सेवामुक्त कर दिए जाएंगे।	5 वर्ष

टिप्पणी:

i. सभी संभावित आयु छूट पर विचार करने के बाद उम्मीदवार की अधिकतम ऊपरी आयु 28.12.2019 को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ii. ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ऊपर 5.2. (घ) के तहत के तहत आयु में छूट के लिए पात्र है उन्हें साक्षात्कार के समय/उसके बाद की प्रक्रिया के किसी भी चरण में जम्मु एवं कश्मीर डिवीजन के जिला न्यायाधीश जिनके विशेषाधिकार क्षेत्र में वे साधारणतया निवास करते हैं या अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन के अधिवासी हों उनके लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नामांकित किसी अन्य प्राधिकारी से निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
iii. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें दिए गए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, सरकारी नौकरी में पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य हेतु उनके भूतपूर्व सैनिक की स्थिति समाप्त हो जाती है।
iv. बिंदु 5.2 (ग) में आयु सीमा में दी गयी छूट सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संचयी आधार पर अनुमत्य होगी।
v. ऐसे अभ्यर्थी जो आयु में छूट चाह रहे हैं उन्हें बैंक की अपेक्षा अनुसार साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में मूल में अपेक्षित प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के साथ उसकी फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
vi. अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

5.3 निर्धारित दिव्यांगजन हेतु आरक्षण

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत केवल निर्धारित दिव्यांगजन ही आरक्षण हेतु पात्र हैं। "निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम चालीस प्रतिशत दिव्यांग हो, उन मामलों में जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है, प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार इसके अंतर्गत वह दिव्यांग व्यक्ति भी आता है जिसकी दिव्यांगता को मापन की

श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल दिव्यांगताओं की आरक्षित श्रेणियां नामत: हैं:

क) दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि;
ख) बधिर एवं कम सुनने वाला;
ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता;
घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता;
ङ) बधिर-दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडों के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं।

टिप्पणी:

i. उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" के अनुसार होंगे।

ii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी अर्थात सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस से हो सकते हैं। निर्धारित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण समस्तरीय हैं और इस पद हेतु कुल रिक्तियों के भीतर हैं।

iii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के माध्यम से निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की बैंक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णय अनुसार जांच/पुन: जांच की जा सकती है।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

5.4 न्यूनतम शैक्षणिक/ व्यवसायिक योग्यता और योग्यता के बाद अनुभव (यथा 28.12.2019 को)

पद	न्यूनतम शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता	न्यूनतम योग्यता के बाद अनुभव (यथा 28.12.2019 को)
डीजीएम (मुख्य जोखिम अधिकारी)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: निम्न के साथ स्नातक डिग्री - (क) ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स (जीएआरपी) से वित्तीय जोखिम प्रबंधन में व्यावसायिक योग्यता, या (ख) व्यावसायिक जोखिम प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन (पीआरएमआईए) संस्थान से व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन प्रमाणन: वांछनीय शैक्षणिक योग्यता: (क) चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) संस्थान द्वारा प्रदत्त चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर का धारक, या (ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान या विदेश समकक्ष द्वारा सनदी लेखाकार के रूप में नामित,; (ग) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, या विदेश	भारत में बैंकों / वित्तीय संस्थानों / विनियामक निकायों में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 05 वर्ष का अनुभव एक या एक से अधिक पीएसबी में सहायक महाप्रबंधक या इससे उच्च अधिकारी के स्तर पर कॉर्पोरेट क्रेडिट और जोखिम प्रबंधन में होना चाहिए या जिनका कॉर्पोरेट क्रेडिट में एक वर्ष और जोखिम प्रबंधन में एक वर्ष के न्यूनतम अनुभव के साथ एक या एक से अधिक विनियमित संस्था में समान भूमिका और जिम्मेदारियां हों।
एजीएम (अर्थव्यवस्था एवं रणनीति)	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। वांछनीय: एम.फिल, पीएचडी को प्राथमिकता दी जाएगी।	भारत में बैंकों / वित्तीय संस्थानों / विनियामक निकायों में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव भारत में बैंकों / वित्तीय संस्थानों / विनियामक निकायों में आर्थिक अनुसंधान या कार्यनीतिक योजना से संबंधित क्षेत्रों में होना चाहिए।

एजीएम (एमआईएस)	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। वांछनीय: एम.फिल, पीएचडी को प्राथमिकता दी जाएगी।	भारत में बैंकों / वित्तीय संस्थानों / विनियामक निकायों में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव भारत में बैंकों / वित्तीय संस्थानों / विनियामक निकायों में आईटी, एमआईएस, डेटा विश्लेषिकी, पूर्वानुमान से संबंधित क्षेत्रों में होना चाहिए।
प्रबंधक (ऋण लेखा परीक्षा)	सनदी लेखाकार (सीए) / लागत और प्रबंधन लेखाकार (सीएमए / सीडब्ल्यूए)।	भारत में बैंकों / वित्तीय संस्थानों / विनियामक निकायों में 03 वर्ष का अनुभव जो कि ऋण मूल्यांकन, लेखा परीक्षा और जोखिम से संबंधित रहा हो।
डीएम	किसी भी विषय में स्नातक वांछनीय: एमबीए (वित्त) को प्राथमिकता दी जाएगी।	भारत में बैंकों / वित्तीय संस्थानों / विनियामक निकायों में 02 वर्ष का अनुभव जो कि ऋण मूल्यांकन, लेखा परीक्षा और जोखिम से संबंधित रहा हो।

टिप्पणी:

i. अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु निपुण, आपसी संवाद में अभ्यर्थी संवाद कुशल, विश्लेषणात्मक एवं ड्रॉफटिंग में कुशलता, सूक्ष्म जानकारियों पर ध्यान देने की योग्यता, एक समय पर अनेक कार्य करने के साथ टीम निर्माण की कुशलता, अन्य संस्थान में किए गये कार्य का आकर्षक एवं उत्तम ट्रेक रिकॉर्ड होना चाहिए।

ii. उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण कालिक एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से होनी चाहिए।

iii. ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के निकटतम दो दशमलव को दर्शाने होंगे। यदि विश्वविद्यालय/संस्थानों ने समग्र ग्रेड प्वाइंट (अर्थात सीजीपीए/ओजीपीए आदि) दिए हों तो उन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समग्र ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम एवं उन नियमों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए।

iv. प्रतिशत की गणना: सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए हुए अंको को ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्रतिशत अंक निकाले जाएंगे। यह नियम उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जहां वर्ग/श्रेणी केवल ऑनर्स के अंको पर आधारित हो।

v. अभ्यर्थी के पास वैध अंक सूची / डिग्री प्रमाणपत्र / व्यावसायिक योग्यता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें वर्णित हो कि वह यथा 28.12.2019 तक स्नातक / स्नातकोत्तर / सनदी लेखाकार / आईसीडब्ल्यूएआई / आदि है और ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक / स्नातकोत्तर / व्यावसायिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत इंगित करें।

vi. योग्यता के बाद अनुभव पर विचार केवल न्यूनतम अनुभव के आकलन हेतु किया जाएगा।

vii. यदि डिग्री / डिप्लोमा का प्रमाण पत्र विशेषज्ञता के क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो अभ्यर्थियों को विशेषज्ञता का उल्लेख करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय / कॉलेज से प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

viii. ऐसे मामलों में जहां एक विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता होती है, प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र में विशेषत: यह होना चाहिए कि अभ्यर्थी को उस विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव था।

ix. बैंक शैक्षणिक योग्यता और / या योग्यता के बाद अनुभव से संबंधित पात्रता मानदंडों को प्रस्तुत या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवश्यकता के आधार पर, बैंक आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी या सभी प्रावधानों को रद्द करने या रोकने या कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

x. उपरोक्त पदों के लिए आउटसोर्सिंग विक्रेता, सेवा प्रदाता, केपीओ / बीपीओ या आईटी समर्थन सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

कार्य प्रोफाइल

पद	कार्य प्रोफाइल (संक्षेप में)
डीजीएम (मुख्य जोखिम अधिकारी)	मुख्य जोखिम अधिकारी निम्न कार्यों हेतु ज़िम्मेदार होगा: i. बैंक की आय तथा बैंक को हो सकने वाले जोखिमों को पहचानना एवं उनको रोकना ii. बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी जोखिम प्रबंधन के कार्य के साथ उनका प्रबंधन, पहचानना, मूल्यांकन रिपोर्टिंग, तथा बैंक को बाहरी एवं आंतरिक जोखिमों से सुरक्षित करना, iii. मुख्य जोखिम अधिकारी बैंक द्वारा किए जाने वाले किसी नये कार्य के कार्यान्वयन में आने वाले जोखिम की पहचान, आकलन, प्रबंधन, निगरानी एवं उसको रिपोर्ट करना होगा, iv. मुख्य जोखिम अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक पर लागू सभी विनियमनों का अनुपालन किया जा रहा है एवं उसके द्वारा सभी जोखिम से संबंधित मामलों का विश्लेषण करना होगा। v. समय समय पर भारत सरकार एवं अन्य विनियामक संस्थाओं से मिलने वाले दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु मिलने वाले अन्य कार्य।
एजीएम (इकॉनोमी एवं कार्यनीति)	i. अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक एवं वित्तीय आकड़ों पर नज़र रखना, विश्लेषण करना एवं उनका मूल्यांकन करना ii. बैंक के शीर्ष प्रबंधन को विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय विकासों पर रणनीतिक इनपुट प्रदान करना तथा बैंक की रणनीति एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करना iii. व्यापार संबंधी नयी संभावनाओं को तलाशने हेतु अध्ययन करना, बैंक के अच्छे परिणामों के लिए वर्तमान में चल रही योजनाओं / प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना, कम जोखिम के साथ परिणामों को प्राप्त करने हेतु व्यापार के नये एवं उन्नत तरीक़ो का सुझाव देना iv. विभिन्न विषयों पर बैंक पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में अध्ययन करना जो कि बैंक के व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। v. समय समय पर प्रदान किए जाने वाले अन्य कार्य।
एजीएम (एमआईएस)	i. बैंक के लिए एक ठोस एमआईएस प्लेटफॉर्म की स्थापना करना, विभिन्न विभागीय स्तर पर एकत्रित किए गये आकड़ों को समझना एवं उनको प्रोसेस करना, बैंक की महत्वपूर्ण गतिविधियों के आकलन करने हेतु आने वाली कमियों को पूरा करने के लिए नवीन डेटा आइटम का सुझाव देना ii. शीर्ष प्रबंधन, विनियामक संस्थान एवं सरकार को वांछित किसी भी प्रकार के आकड़ों को उनके लिए सुलभ करना, निर्णय लेने हेतु व्यापार रिपोर्ट / आकड़ें उपलब्ध कराना iii. विभिन्न आंतरिक एवं बाहरी आकड़ों को तैयार करने में की जाने वाली प्रक्रिया को स्वचालित करने में सहायता करना iv. निर्धारित विनियामक विवरणीयाँ समयबद्ध / सटीक तरीके से प्रस्तुत करना एवं उनको तैयार करना v. समय समय पर प्रदान किए जाने वाले अन्य कार्य।

6. चयन की योजना, परिवीक्षा अवधि एवं तैनाती/ बदली

पद	चयन प्रक्रिया	परिवीक्षा अवधि	तैनाती/ बदली
डीजीएम (मुख्य जोखिम अधिकारी)	शोर्टलिस्टिंग एवं साक्षात्कार	चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की सक्रिय सेवा के लिए	चयनित अभ्यर्थियों को समय समय पर बैंक के विभिन्न कार्यालयों में बैंक के निर्णयानुसार तैनात/ बदली किया
एजीएम (इकॉनोमी एवं कार्यनीति)			

एजीएम (एमआईएस)		परिवीक्षा अवधि में रहेंगे जो कि बैंक के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।	जायेगा और ऐसे नियमों और शर्तों को बैंक के एकमात्र विवेकानुसार द्वारा तय किया जायेगा।
प्रबंधक (ऋण लेखा परीक्षा)			
डीएम			

चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदन और पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करने हेतु शोर्टलिस्टिंग योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

चयन शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता, योग्यता के बाद के अनुभव और साक्षात्कार में किये गये प्रदर्शन के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे चूंकि चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बैंक द्वारा अंतिम रैंक सूची तैयार करने पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों को प्राप्त करना होगा और अंतिम रैंक पर अंतिम रैंक सूची तैयार करने पर ही विचार किया जायेगा। हालांकि, पद के लिए चयन उस पद के लिए संबंधित श्रेणी रैंक सूची में उनके पद पर आधारित होगा।

अंतिम मेरिट लिस्ट कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी जैसा कि ऊपर गणना की गई है। चयन के लिए मेरिट लिस्ट साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट-ऑफ अंक (कट-ऑफ पॉइंट पर सामान्य अंक) स्कोर करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में, अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार रैंक दी जाएगी।

6.1. साक्षात्कार: केवल न्यूनतम योग्यता और अनुभव को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जायेगा। बैंक द्वारा गठित चयन समिति चयन हेतु मानदंड तय करेगी और तत्पश्चात बैंक द्वारा निर्णित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या का चयन किया जायेगा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया नहीं जाता है। बैंक अभ्यर्थी की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संदर्भ में प्रारंभिक स्क्रीनिंग / चयन के बाद साक्षात्कार के लिए केवल अपेक्षित अभ्यर्थियों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

टिप्पणी: बैंक शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता और / अथवा योग्यता के बाद के अनुभव आदि से संबंधित पात्रता मानदंड को बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवश्यकता के आधार पर, बैंक ज़रुरत पड़ने पर बिना किसी नोटिस और बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी या सभी प्रावधानों को रद्द करने या रोकने या कम करने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक पद के लिए एक स्केल नीचे नियुक्त करने का अधिकार रखता है, भले ही अभ्यर्थी उच्च स्केल पद के लिये आवेदन और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। साक्षात्कार के लिये चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाएंगे। साक्षात्कार नई दिल्ली स्थित रा.आ.बैंक मुख्य कार्यालय में ही आयोजित किये जाएंगे। साक्षात्कार के लिये समय और तिथि की सूचना चयनित अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर में दी जाएगी। अभ्यर्थियों को रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in से अपना साक्षात्कार ई-कॉल लेटर डाउनलोड करना अपेक्षित है। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार की तारीख, समय, केन्द्र आदि में बदलाव के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, बैंक को किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में, यदि कोई हों, स्व-निर्णयानुसार साक्षात्कार की तारीख/स्थान/ समय/केन्द्र आदि को बदलने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी हिन्दी या अंग्रेजी में साक्षात्कार का विकल्प चुन सकता है।

अभ्यर्थी की पात्रता और पहचान के समर्थन में मूल और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी में निम्नलिखित दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से लाना अपेक्षित है, न लाने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को न लाने पर भर्ती प्रक्रिया में आगे हिस्सा लेने से उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

(i) वैध साक्षात्कार ई-कॉल लेटर का प्रिंटआउट।
(ii) पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।

(iii) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म तिथि के साथ एसएसएलसी/ X क्लास प्रमाणपत्र)

(iv) विज्ञापन के **बिंदु 9** में इंगित फोटो पहचान प्रमाण

(v) बोर्ड / विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक योग्यता आदि की मार्क-शीट या प्रमाणपत्र उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(vi) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

ओबीसी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाणपत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के अधीन नागरिक पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण के अभिलाभों को छोड़कर क्रिमी लेयर वर्ग में नहीं आता है। क्रिमी लेयर वाले ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) के दौरान जारी किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची / अधिसूचना के साथ पत्र द्वारा पत्र से मेल खाना चाहिए। साक्षात्कार के समय, ओबीसी अभ्यर्थी को दिनांक 01.04.2019 से साक्षात्कार की तिथि की अवधि के दौरान जारी गैर- क्रिमी लेयर खंड वाला जाति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है।

ओबीसी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी परंतु जो क्रीमी लेयर में आते हैं और / या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में जगह नहीं मिलती है तो वे ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सामान्य वर्ग के रूप में अपनी श्रेणी को इंगित करना होगा।

(vii) दिव्यांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

(viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र। चालू वित्त वर्ष के दौरान आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को दिनांक 01.04.2019 से साक्षात्कार की तिथि तक की अवधि के दौरान जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र लाना अपेक्षित है।

(ix) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम / वर्तमान में दी गयी (मूल के साथ कार्यकारी) रैंक के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या सेवामुक्त बुक की प्रति प्रदान करनी होगी।

(x) अभ्यर्थी जो सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) में कार्य कर रहा है, को साक्षात्कार के समय उनके संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाणपत्र" लाना अपेक्षित है, जिसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय, यदि कोई हो, अन्यथा का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(xi) ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ऊपर 5.2. (घ) के तहत के तहत आयु में छूट के लिए पात्र है उन्हें साक्षात्कार के समय/उसके बाद की प्रक्रिया के किसी भी चरण में जम्मू एवं कश्मीर डिवीजन के जिला न्यायाधीश जिनके विशेषाधिकार क्षेत्र में वे साधारणतया निवास करते हैं या अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन के अधिवासी हों उनके लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नामांकित किसी अन्य प्राधिकारी से निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xii) योग्यता के बाद अनुभव का प्रमाणपत्र

(xiii) उपर्युक्त **बिंदु 5.1** की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xiv) योग्यता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

टिप्पणी: - यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित पात्रता दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार के समय प्रासंगिक पात्रता दस्तावेजों को न लाने पर, भर्ती की आगे की प्रक्रियाओं के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगजन / ईडब्ल्यूएस को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगजन / ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आदि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगजन / ईडब्ल्यूएस/ भूतपूर्व सैनिक के समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अलावा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगजन / ईडब्ल्यूएस / भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

7. परिलब्धियां और सेवा शर्तें

पद	स्केल	वेतनमान* (रुपये में)	प्रति माह^ समेकित पारिश्रमिक (रुपये में) (लगभग)
डीजीएम (मुख्य जोखिम अधिकारी)	टीईजीएस-VI	68,680-1,960/4-76,520	1,37,946/-
एजीएम (इकॉनोमी एवं कार्यनीति)	एसएमजीएस-V	59,170-1,650/2-62,470-1,800/2-66,070	1,17,950/-
एजीएम (एमआईएस)			
प्रबंधक (ऋण लेखा परीक्षा)	एमएमजीएस-III	42,020-1,310/5-48,570-1,460/2-51,490	82,392/-
डीएम	एमएमजीएस -II	31,705-1,145/1-32,850-1,310/10-45,950	62,380/-

**** वर्तमान वेतनमान संशोधन के अधीन है।***

^यथा 28.12.2019 को, मूल वेतन, डीए, सीसीए, एचआरए, विशेष वेतन और विशेष वेतन डीए।

उपरोक्त दिये वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति के समय प्रचारित बैंक के नियमों के अनुसार, भत्ते, परिलब्धियों और अभिलाभों के लिए पात्र होंगे। परिलब्धियों में बैंक द्वारा समय-समय पर किये गये निर्धारण के अनुसार आवास की उपलब्धता के अधीन बैंक के निर्णयानुसार बैंक आवास जैसी सुविधायें शामिल होंगी, चिकित्सा/अस्पताल में भर्ती होने, टेलीफोन/मोबाइल प्रभार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक अनुदान, आवासीय साज-सज्जा, सरकारी प्रयोग के लिये वाहन का अनुरक्षण व्यय आदि की पात्रता अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है। अन्य लाभ जैसे आवास ऋण, वाहन ऋण, त्यौहार अग्रिम, एलटीसी, ग्रेच्युटी अवकाश नकदीकरण, पीएफआरडीए आदि द्वारा संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत नियमानुसार कवरेज मिलते हैं। **चयनित अभ्यर्थी की किसी भी विभाग में तैनाती और भारत में कहीं भी स्थानान्तरण हो सकता है।**

8. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार (अप्रतिदेय)

क्रम सं0	श्रेणी	राशि*
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन	रुपये 100/- (केवल सूचना प्रभार)
2	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन के अतिरिक्त	रुपये 600/- (आवेदन शुल्क व सूचना प्रभार)

** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर*

टिप्पणी : एक बार आवेदन किए जाने पर आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार अदा किया गया आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी परीक्षा अथवा चयन हेतु अलग रखा जाएगा। यदि आवेदन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है/उस पर विचार नहीं किया जाता है तो आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार भी वापस नहीं किया जाएगा। बैंक/लेनदेन प्रभार, यदि लागू हो, अभ्यर्थी

वहन करेगा। आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार पर लागू जीएसटी अभ्यर्थी वहन करेगा। निर्धारित आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के बिना प्राप्त आवेदनों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। शुल्क/सूचना प्रभारों का भुगतान इस विज्ञापन में दी गई निर्धारित विधि से ही किया जाए।

9. पहचान सत्यापन

i. प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज

साक्षात्कार के समय, ई-कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की फोटो की पहचान) ई-कॉल लेटर पर दिखाई देने वाले नाम जैसा ही हो(जैसे पैन कार्ड /पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस /वोटर कार्ड /बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो पहचान साक्ष्य /फोटोग्राफ के साथ जनप्रतिनिधि /मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र /फोटोग्राफ के साथ आधार /ई-आधार /कर्मचारी पहचान पत्र को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अभ्यर्थी की पहचान को उपस्थिति सूची और प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों में ई-कॉल लेटर पर उसके विवरण के संबंध में सत्यापित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध पाई गई तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को वैध आईडी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- **जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल दिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र / मूल में शपथ पत्र आदि जैसे आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।**

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को मूल में समान नाम वाला फोटो पहचान प्रमाण लाना होगा जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र / ई-कॉल पत्र में है और साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान साक्षात्कार ई-कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii. बायोमैट्रिक डेटा – संकलन एवं सत्यापन

साक्षात्कार एवं आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान अभ्यर्थियों की फोटो के साथ बायोमेट्रिक डेटा (सीधे अंगूठे का निशान या अन्यथा) को संकलित और सत्यापित करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया ध्यान दें: बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ को निम्नलिखित स्थिति में संकलित / सत्यापित किया जाएगा -

(i) साक्षात्कार से पहले दस्तावेज सत्यापन के समय यदि शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो उसे स्थल पर ही संकलित और सत्यापित किया जाएगा।

(ii) नियुक्ति के समय, उसे स्थल पर ही संकलित और सत्यापित किया जाएगा।

ऐसी स्थिति (मेल या बेमेल) के संबंध में बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय अभ्यर्थियों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। उपर्युक्त किसी भी स्थिति में बायोमेट्रिक डेटा संकलन / सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करने से अभ्यर्थिता रद्द हो जायेगी।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें -

- यदि उंगलियां कोटेड (मुद्रांकित स्याही / मेहंदी / रंगीन आदि), हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धोयें ताकि परीक्षा / साक्षात्कार / नियुक्ति से पहले कोटिंग पूरी तरह से हट जाए।
- यदि उंगलियां गंदी या मैली हैं, तो उन्हें धोयें और फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) कैप्चर करने से पहले उन्हें सुखा लें।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हैं। यदि उंगलियां नम हैं, तो उन्हें सुखाने के लिए प्रत्येक उंगली को पोंछें।
- यदि अंगुली (दाएं हाथ का अंगूठा) जख्मी / क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत परीक्षण केंद्र में संबंधित प्राधिकरण को सूचित करें।

10. आवेदन कैसे करें

निम्नलिखित हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/ प्रक्रियाएं

क. आवेदन पंजीकरण

ख. शुल्क का भुगतान
ग. स्कैन और अपलोड दस्तावेज

अभ्यर्थी सिर्फ **28.12.2019 से 17.01.2020** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अन्य **किसी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

पंजीकरण पूर्व ध्यान दिये जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे-

(i) निम्नलिखित स्कैन करें:

- **फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)**
- **हस्ताक्षर (काली स्याही की कलम से)**
- **बायें हाथ के अंगूठे का निशान (काली या नीली स्याही से सफेद कागज़ पर)**
- **हस्त लिखित घोषणा (काली स्याही की कलम से सफेद कागज़ पर) (पाठ नीचे दिया गया है)**

यह सुनिश्चित करना कि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं जैसा कि इस विज्ञापन के बिंदु 10 (ग) में दिया गया है।

(ii) "बड़े अक्षरों" में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iii) बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को अच्छी तरह से स्कैन किया जाना चाहिए और उस पर धब्बा नहीं होना चाहिए। (यदि किसी अभ्यर्थी का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दायें हाथ के अंगूठे का उपयोग कर सकता है)

(iv) हस्त लिखित घोषणा इस प्रकार है -

"मैं _______ (अभ्यर्थी का नाम), एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करुंगी।"

(v) उपर्युक्त उल्लिखित हस्त लिखित घोषणा अभ्यर्थी के हाथ से लिखा और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी और के द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया जाता है, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा। (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में जो लिख नहीं सकते हैं, उन्हें घोषणा का लिखा हुआ पाठ मिलेगा और वें टाइप की गयी घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगायेंगे और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करेंगे)।

(vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज रखें।

(vii) वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नं. रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक चालू रखा जाना चाहिए। बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से साक्षात्कार आदि हेतु कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचना भेज सकता है। यदि अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी होगी और मोबाइल नं. लेना होगा तथा उस ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर को अपने पास रखना होगा।

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार (अप्रतिदेय) के ऑनलाइन शुल्क का भुगतान : 28.12.2019 से **17.01.2020**

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

क. आवेदन प्रक्रिया

1. अभ्यर्थी **राष्ट्रीय आवास बैंक** की वेबसाइट (www.nhb.org.in) के **"Opprortunities@NHB" → "वर्तमान रिक्तियां" → स्केल II, III, V एवं VI में अधिकारीयों की भर्ती** सेक्शन में क्लिक कर → **ऑनलाइन आवेदन के लिये यहाँ क्लिक करें,** जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।

2. आवेदन को पंजीकृत करने के लिए, **"नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें"** टैब को चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी को प्रविष्ट करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड दिया जाएगा एवं स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड नोट करें। अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड स्पष्ट करता हुआ ई-मेल और एसएमएस भी भेज दिया जाएगा।

3. आवेदन प्रपत्र को एक बार में पूरा न कर पाने वाले अभ्यर्थी "सेव एंड नेक्स्ट" टैब को चुन कर पहले से प्रविष्ट डेटा को सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विवरणों की पुष्टि करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें।

4. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन में विवरण भरें क्योंकि "फाइनल सबमिट" बटन पर क्लिक के पश्चात परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होगी/ अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. अभ्यर्थी के नाम अथवा उसके पिता/ पति आदि के नाम की वर्तनी ठीक वही होनी चाहिए जो प्रमाण पत्र/ अंक तालिका / पहचान प्रमाण में दी गई हो। कोई भी बदलाव/ परिवर्तन उसकी अभ्यर्थिता को अयोग्य कर सकता है।

6. अपने द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करें और 'वेलिडेट योर डिटेल्स' एवं 'सेव एंड नेक्सट' बटन के क्लिक द्वारा अपने आवेदन को सेव करे।

7. अभ्यर्थी अब बिंदु "ग" के अंतर्गत स्कैनिंग एवं फोटोग्राफ और हस्ताक्षर विवरण के अपलोड के लिए दिशानिर्देश में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का कार्य कर सकते हैं।

8. अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में दिए गए अन्य विवरण को भरें।

9. प्रीव्यू टैब को क्लिक करें और फाइनल सबमिट के पूर्व, पूरे आवेदन की जांच करें।

10. यदि आवश्यक हो तो, विवरण में संशोधन करें और 'फाइनल सबमिट' बटन पर केवल तभी क्लिक करें जब यह सत्यापित और सुनिश्चित हो जाए कि आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व भरे गए अन्य विवरण सही हैं।

11. 'पेमेंट' टैब को क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

12. 'सबमिट' बटन को क्लिक करें।

ख. <u>शुल्क का भुगतान</u>

<u>ऑनलाइन प्रणाली</u>

1. आवेदन प्रपत्र को गेटवे भुगतान के साथ एकीकृत किया गया है एवं भुगतान की प्रक्रिया को निर्देशों का पालन करके पूरा किया जा सकता है।
2. भुगतान केवल डेबिट कार्ड (रुपये/वीसा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेटस का प्रयोग करके किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भुगतान से संबंधित अपनी जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात, "कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। दोगुने प्रभार से बचने के लिए बैक अथवा रीफ्रेश बटन न दबायें"।
4. लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक ई-रसीद प्रस्तुत की जाएगी।
5. यदि ई-रसीद प्रस्तुत नहीं होती तो लेन-देन पूरा नहीं हो सका है। लेन-देन पूरा न होने पर, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए फिर से लोगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएँ।
6. अभ्यर्थियों को शुल्क विवरण के साथ **ई-रसीद** और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **का प्रिंटआउट** लेना आवश्यक है। **<u>कृपया नोट करें कि यदि उक्त प्रस्तुत नहीं होता है, तो यह हो सकता है कि ऑनलाइन लेन-देन का कार्य पूरा न हुआ हो।</u>**
7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी मूल्यों को भारतीय रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। यदि आप गैर भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में बदल देगा।
8. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेन-देन पूरा होने पर ब्राउज़र विंडो बद कर दें।
9. **शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क के विवरण वाले आवेदन प्रपत्र का पुन: प्रिंट निकालने का भी प्रावधान है।**

ग. दस्तावेजों को स्कैन एवं अपलोड करने हेतु दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उसकी फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ प्रतिरूप:

- फोटोग्राफ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का होना चाहिए।
- तस्वीर की पृष्ठभूमि, हल्के रंग के समक्ष, अधिमानत: सफेद होनी चाहिए।
- तनाव-मुक्त चेहरे के साथ कैमरे की ओर देखें।
- यदि तस्वीर तेज धूप वाले दिन ली गई हो, तो सूर्य आप के पीछे हो, या आप छाया वाली जगह खड़े हो जाएं जिससे कि फोटो में आप तिरछी दृष्टि से देखते हुए ना नजर आएं और वहां कोई कठोर छायाएं न आ जाएं।
- यदि आप फ्लैश का प्रयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि ''रेड-आई" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि फोटो में कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों।
- टोप, टोपी और काले चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक रिवाज के चलते सिर के पहनावे के अनुमति है परंतु इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सल (अधिमानत:)
- फ़ाइल आकार 20 केबी-50 केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक का हो, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे डीपीआई रिज़ोल्यूशन, रंगों की संख्या इत्यादि को समायोजित करें।
- यदि फोटो को साक्षात्कार के समय फोटो लगाने के स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता है तो उसे रद्द / अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं उक्त के लिये जिम्मेदार होगा।
- अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटो को फोटो के स्थान पर और हस्ताक्षर को हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

हस्ताक्षर, बायें हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा इमेज :

- आवेदक को काली स्याही के कलम से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने हैं।
- आवेदक को काली या नीली स्याही में सफेद कागज पर अपने बायें हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है।
- आवेदक को काली स्याही में सफेद कागज पर अंग्रेजी में घोषणा लिखनी है।
- हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा हों न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।
- हस्ताक्षर केवल कॉल लेटर पर होना चाहिये और जहां भी आवश्यक हो।
- साक्षात्कार के समय हस्ताक्षरित कॉल लेटर, उपस्थिति शीट पर लिए गए आवेदक के हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाने की स्थिति में, अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- 140 x 60 पिक्सल (अधिमानत:)
- हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान के लिये फ़ाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच होना चाहिए।
- हस्त लिखित घोषणा के लिए फ़ाइल का आकार 20केबी – 50केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20 केबी या 50 केबी से अधिक न हो (हस्त लिखित घोषणा के लिये)।
- "बड़े अक्षरों" में हस्ताक्षर / हस्त लिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

दस्तावेजों की स्कैनिंग:

- स्कैनर का रिज़ोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई सेट करें (डॉट्स प्रति इंच)।

- कलर को टू कलर सेट करें।
- बाएं हाथ के अंगूठे का निशान / हस्त लिखित घोषणा के किनारे पर स्कैनर में इमेज को क्रॉप करें, फिर उसे अंतिम आकार देने के लिए अपलोड एडीटर द्वारा क्राप करें (जैसा कि ऊपर बताया गया है)।
- इमेज फ़ाइल जेपीजी अथवा जेपीईजी फ़ार्मेट में होनी चाहिए। नमूना फ़ाइल नाम है: इमेज01.जेपीजी अथवा इमेज01.जेपीईजी।
- इमेज आयामों की जांच फ़ोल्डर फ़ाइल की लिस्टिंग द्वारा जी सकती है अथवा फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर की जा सकती है।
- एमएस विंडोस/ एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी बड़ी सरलता से एमएस पेंट अथवा एमएस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करके जेपीईजी फ़ार्मेट में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। फ़ाइल मेन्यू में 'सेव ऐज़' ऑप्शन का प्रयोग करके किसी भी फ़ार्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेजों को .जेपीजी / .जेपीईजी फ़ार्मेट में सेव किया जा सकता है। क्राप और रिसाईज ऑप्शन का प्रयोग करके इसके आकार को समाजोजित किया जा सकता है।
  - **यदि फ़ाइल का आकार और फ़ार्मेट वैसे न हो जैसा कि बताया गया हो, तो एक त्रुटि संदेश आएगा।**
  - **ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, अभ्यर्थी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें हाथ के अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा।**

<u>बायें हाथ के अंगूठे का निशान:</u>

- आवेदक को काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है
- हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा हों न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।
  - o <u>फाइल टाइप:</u> जेपीजी /जेपीईजी
  - o <u>आयाम :</u> 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक विशेषता हेतु अधिमानित) यानी 3 सेमी* 3 सेमी (चौडाई*लंबाई)
  - o <u>फाइल आकार:</u> 20 केबी – 50 केबी

<u>हस्त लिखित घोषणा</u>:

- हस्त लिखित घोषणा सामग्री अपेक्षानुसार होनी चाहिए।
- हस्त लिखित घोषणा "बड़े अक्षरों" में नहीं लिखी जानी चाहिए।
- आवेदक को काली या नीली स्याही के कलम से सफेद कागज पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा को लिखना है।
- हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा हों न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।
- हस्त लिखित घोषणा
  - o <u>फाइल टाइप:</u> जेपीजी /जेपीईजी
  - o <u>आयाम:</u> 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक विशेषता हेतु अधिमानित) यानी 10 सेमी* 5 सेमी (चौडाई*लंबाई)
  - o <u>फाइल आकार:</u> 50 केबी – 100 केबी

दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के दौरान अभ्यर्थी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- संबंधित लिंक "अपलोड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन/ हैंड रिटन डिक्लेरेशन" पर क्लिक करें।
- ब्राउज़ करें और उस स्थान को चुनें जहां स्कैन किए गये फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन/ हैंड रिटन डिक्लेरेशन को सेव किया गया हो।
- इसे क्लिक करके फ़ाइल को चुनें।

- ‘ओपन / अपलोड’ बटन पर क्लिक करें। आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड नहीं करते।
- यदि फ़ाइल का आकार और फ़ार्मेट वैसे न हो जैसा कि बताया गया हो, तो एक त्रुटि संदेश आएगा।
- अपलोड की गई इमेज का प्रिव्यू इमेज की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट / मैली होने के मामले में, उक्त को अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता के लिए फिर से अपलोड किया जायेगा।

टिप्पणी:

(1) यदि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या हस्त लिखित घोषणा अस्पष्ट/मैली है, तो अभ्यर्थी के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन/ हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जांच करनी चाहिए कि इमेज स्पष्ट है और उसे सही तरीके से अपलोड किया गया है। यदि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या हस्त लिखित घोषणा सही से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित कर सकता है और प्रपत्र जमा करने से पूर्व अपने फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन/ हैंड रिटन डिक्लेरेशन को पुन: अपलोड कर सकता है।

(3) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंटआउट लें।

11. समर्थन सेवा

अभ्यर्थी जो आवेदन प्रपत्र भरने, आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार के भुगतान, या ई-कॉल लेटर आदि को डाउनलोड करने के संबंध में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे ऐसे प्रश्नों/शिकायतों के लिये http://cgrs.ibps.in. लिंक देख सकते हैं। अभ्यर्थी को ईमेल के विषय में **‘नियमित आधार पर एमएमजीएस- II (उप प्रबंधक), एमएमजीएस- III (प्रबंधक), एसएमजीएस-V (सहायक महाप्रबंधक) और टीईजीएस- VI (मुख्य जोखिम अधिकारी) में रा.आ.बैंक अधिकारियों की भर्ती – 2019’** उल्लिखित करना होगा।

II. सामान्य निर्देश

[कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें]

i. आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व, अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे जिस पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, उसके लिये आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि के बारे में सभी पात्रता मानदंड यथा दिनांक **28.12.2019** को पूरा करते हैं और आवेदन प्रपत्र में दिये गये सभी ब्यौरे हर प्रकार से सही हैं। यदि किसी चरण में यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, और/या उसने कोई गलत जानकारी दी है या उसने किसी तथ्य/तथ्यों को छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी। यदि इस विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को किसी भी कारण से समाप्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्णय अभ्यर्थी के लिये अंतिम और बाध्यकारी होंगे। यदि ऐसी कोई त्रुटि उसकी नियुक्ति के बाद भी पायी जाती है तब भी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

ii. अभ्यर्थी की पात्रता, शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार का संचालन, अन्य परीक्षण,चयन, पात्रता की जांच जिन चरणों में की जानी है, योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड, साक्षात्कार, सत्यापन आदि के संचालन के उद्देश्य हेतु प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज और भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित कोई अन्य मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी पत्राचार या निजी पूछताछ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

iii. अभ्यर्थियों को स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि इंटरनेट या वेबसाइट जाम पर हेवी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग ऑन करने हेतु डिस्कनेक्शन / अक्षमता / विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन करें। बैंक उपरोक्त कारणों या किसी

अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन जमा न करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है चूंकि यह बैंक के नियंत्रण के बाहर है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने के बाद उनके सिस्टम से जनरेट ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंटआउट अवश्य लें।

iv. एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जमा नहीं किए जायेंगे। एक से अधिक आवदनों के मामले में केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा और अन्य एक से अधिक पंजीकरण (पंजीकरणों) के लिए भुगतान किए गए आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार जब्त कर लिये जाएंगे। साक्षात्कार में एक ही पद के लिए एकाधिक उपस्थिति को खारिज किया जायेगा / अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

v. एक बार ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत होने पर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और / या एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार वापस नहीं किए जाएंगे और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

vi. इस विज्ञापन और/अथवा इसके जवाब में आये आवेदन के कारण किसी भी दावे या विवाद की दशा में कोई कानूनी कार्यवाही केवल दिल्ली में एवं दिल्ली स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती है, किसी भी मुकदमे /विवाद की सुनवाई का एकल और अनन्य अधिकार क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

vii. अभ्यर्थियों की ओर से या उनके द्वारा कोई भी प्रचार करने या उनके चयन / भर्ती के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने पर उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

viii. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित विवरण, पता बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ix. यदि अंग्रेजी के अतिरिक्त इस विज्ञापन में किसी अन्य भाषा की व्याख्या में कोई विवाद होता है तो रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

x. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्थानों पर यानी उसके ई-कॉल पत्र, उपस्थिति पत्रक आदि एवं भविष्य में बैंक के साथ होने वाले सभी पत्राचारों में उसके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक जैसे हों और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं न हो। "बड़े अक्षरों" में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

xi. हाल ही में, पहचान योग्य फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की जानी चाहिए और अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त की प्रतियां प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए बरकरार रखी गई हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी उपस्थिति न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में समान फोटोग्राफ़ प्रदान न करने या किसी भी स्तर पर पहचान संदिग्ध पाने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।

xii. बाएं / दाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो स्कैन और अपलोड किया गया है, मैला नहीं होना चाहिये।

xiii. हस्त लिखित घोषणा अभ्यर्थी के हाथ से लिखे और अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। यदि यह किसी और के द्वारा लिखा और अपलोड किया जाता है या किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा।

xiv. साक्षात्कार में भाग लेने वाले योग्य बाहरी अभ्यर्थियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी और उन्हें यात्रा यानी टिकट के साक्ष्य प्रदान करने पर सबसे छोटे मार्ग या किये गये वास्तविक व्यय के लिए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

xv. अनधिकृत व्यक्ति / संस्थान द्वारा प्रदान किये गये किसी भी आवेदन / गलत जानकारी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी के साथ / के साथ अपने आवेदन के विवरण को साझा / वर्णित न करें।

xvi. अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के अधीन है। हालांकि, बैंक की

सेवा में पुष्टि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त की संतोषजनक रिपोर्ट प्रदान करने, उनके पूर्व नियोक्ता और संदर्भितों से उसकी संतोषजनक रिपोर्ट मिलने, जाति / जनजाति / वर्ग / ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन प्रमाणपत्र का सत्यापन होने (केवल आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये) और बैंक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार भर्ती पूर्व की सभी औपचारिकताओं के अधीन होंगी, ऐसा न होने पर उनकी नियुक्तियों / सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ये नियुक्तियां बैंक के सेवा एवं आचरण विनियमों के अधीन भी होंगी।

xvii. नियुक्ति के समय, चयनित अभ्यर्थियों को जो सरकारी / अर्ध सरकारी संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों) में सेवारत हों, अपने वर्तमान नियोक्ता से मूल में उचित सेवा-मुक्ति पत्र/ कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

xviii. रा.आ.बैंक किसी भी मानदंड, चयन की विधि और अनंतिम आबंटन आदि को बदलने (रद्द / संशोधित / जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने निर्णयानुसार, जहाँ भी आवश्यक हो विशिष्ट अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) और / या सभी अभ्यर्थियों के संबंध में पुन: साक्षात्कार रख सकता है। बैंक किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन / अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के आयोजन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xix. पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही ईमेल और / या एसएमएस द्वारा सूचनाएँ भेजी जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल आईडी को पत्राचार यानी कॉल लेटर, साक्षात्कार तिथि आदि प्राप्त करने के लिए अपने पास रखें।

xx. बैंक किसी भी पत्राचार की प्राप्ति में देरी या उसे खोने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। मोबाइल नंबर, ईमेल अड्रेस में बदलाव, तकनीकी खराबी के मामले में या अन्यथा रा.आ.बैंक के नियंत्रण से से बाहर यदि सूचना/ जानकारी अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच पाती है तो इसमें बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि नवीनतम अद्यतन स्थिति जानने हेतु रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in को अच्छी तरह से देखें।

xxi. यदि चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के बाद के चरण में, अभ्यर्थी की हस्त लिखित घोषणा पर लिखावट असमान / अलग पाई जाती है, तो हस्तलेख विशेषज्ञ के विश्लेषण के अनुसार, उसकी अभ्यर्थिता / नियुक्ति रद्द / समाप्त कर दी जाएगी।

xxii. कदाचार/ अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में ऐसे किसी प्रकार के विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठे हों, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो अथवा मनगढ़ंत हों एवं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छुपायें। साक्षात्कार के समय अथवा बाद की चयन प्रक्रिया में यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (अथवा पाया गया) तो

(i) अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा
(ii) छद्म भेष अथवा किसी व्यक्ति द्वारा छद्म भेष का संपादन अथवा
(iii) साक्षात्कार में दुर्व्यवहार अथवा स्थल से दस्तावेज ले लेना अथवा
(iv) अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में नियम विरूद्ध अथवा अनुचित तरीक़ों का सहारा लेने अथवा
(v) अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने अथवा
(vi) साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन अथवा इस तरह के संचार उपकरण ले जाने वाले अभ्यर्थी खुद को आपराधिक मुक़दमे के अतिरिक्त निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे

(क) साक्षात्कार / चयन प्रक्रिया से अयोग्यता का पात्र बनेंगे जिसके वे अभ्यर्थी हैं
(ख) आईबीपीएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में या तो हमेशा के लिए या निर्धारित अवधि के लिए निषिद्ध कर दिए जाएंगे।
(ग) यदि वे बैंक की किसी सेवा में पहले से शामिल हो गए/गयी हैं, तो उस सेवा से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा।

xxiii. ई- कॉल लेटर

साक्षात्कार के लिए केंद्र, स्थल का पता, तिथि और समय संबंधित ई-कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा।

योग्य अभ्यर्थी अपने विवरण यानी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करके रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड करें। ई-कॉल लेटर / सूचना हैंडआउट आदि की कोई हार्ड कॉपी डाक / कुरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / एसएमएस द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। आईबीपीएस / रा.आ.बैंक मोबाइल नंबर, ईमेल अड्रेस में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या अन्यथा आईबीपीएस / रा.आ.बैंक के नियंत्रण से बाहर अभ्यर्थी को ई-मेल / एसएमएस द्वारा भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति / गैर-प्राप्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विवरण, अपडेट एवं किसी भी जानकारी जो कि आगे की मार्गदर्शन हेतु अद्यतित की जाएगी के लिए रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in देखते रहें, साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल अकाउंट को देखते रहें।

xxiv. घोषणाएं

भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी घोषणाओं / शुद्धिपत्र / विवरणों को **केवल** समय-समय पर रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर प्रकाशित / उपलब्ध कराया जायेगा।

xxv. अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में गलत सूचना देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वह रा.आ. बैंक द्वारा भविष्य में होने वाली किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सकेगा। यदि ऐसी किसी घटना की जानकारी वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं हो सकी किंतु बाद में ज्ञात हुई जो वह अयोग्यता पिछली तारीख से प्रभावी होगी। रा.आ.बैंक में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण / निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अधिक जानकारी के लिए, अभ्यर्थियों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर प्रकाशित भर्ती विज्ञापन को पढ़ने की सलाह दी जाती है।

नई दिल्ली
28.12.2019

महाप्रबंधक
मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग